मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1 एवं 2

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षक पंचायत, सहायक शिक्षक पंचायत, जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों मं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ₹ 3600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

02 शासकीय महाविद्यालय के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद कमांक 4 से 5

स्वच्छ भारत अभियान हेतु ₹ 6202.24 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 62,02,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद कमांक 6 से 7

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हेतु ₹ 12105.28 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,21,05,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 8

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 9 से 10

गैर सबला जिलों में संचालित किशोरी बालिकाओं हेतु पूरक पोषण आहार हेतु ₹ 180.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 11 से 12

केन्द्र प्रवर्तित एन.एम.एस.ए. स्वाईल हैल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत 11 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री क्रय पर ₹ 50.00 लाख की वापसी हेतु ₹ 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2402

मद कमांक 13 से 14

केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम योजना अंतर्गत सहायक अनुदान मद हेतु ₹ 273.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,73,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 15 से 16

राष्ट्रीय मछुवारा कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मछुवारों के दुर्घटना बीमा हेतु ₹ 1.22 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 17 से 18

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना अंतर्गत ₹ 74.37 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 74,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद कमांक 19

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी पर ₹ 8000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद कमांक 20

शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग में प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य हेतु मशीन उपरण कय के लिये आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद कमांक 21 (7813)

निम्नलिखित सड़क को ई.पी.सी. (नाबार्ड) मद से निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(1) चिल्फी रेंगाखार साल्हेवार मार्ग लंबाई 60.81 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 20000.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अत: इन प्रयोजनों हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 22 (7818)

9 सड़कों के लिए आकस्मिकता निधि से प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित 8 सड़कों को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुमान में शामिल किया गया है :-

(1) शिवरीनारायण-सारंगगढ़-बरमकेला-सोहेला मार्ग लंबाई 31.94 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 10142.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(2) सिंघोरा-बिरकोल-बोड़ेसरा मार्ग लंबाई 39.99 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 13326.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(3) जैजैपुर-मालखदौदा मार्ग लंबाई 18.05 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 5367.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(4) जांजगीर-पामगढ़ मार्ग लंबाई 23.58 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 6893.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(5) डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग लंबाई 15.36 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 5063.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(6) ढारा-ठेलकाडीह मार्ग लंबाई 19.44 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 5889.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(7) जी.ई. रोड़ से इन्दामारा-सुकुल दैहान-ठेलकाडीह मार्ग लंबाई 20.02 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 6279.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

(8) पामगढ़-भिलौनी-ससहा-सोनसरी-जौंधरा-लाहौद मार्ग लंबाई 35.50 किमी के निर्माण कार्य (लागत राशि ₹ 9432.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अत: इन प्रयोजनों हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।